यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभाग देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधीक्षण अभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनके माह08/2019से 09/2020के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री एस एस राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 29.10.2020 से 06.11.2020 तक संपादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकःकार्यालयअभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनके लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री अक्षय कुमार, श्री भारत सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 02/08/2019 से 07/08/2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी जिसमे माह 08/2017 से 07/2019तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःकार्यालयअभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनद्वारा मॉडल के अधीनस्थ खंडीय कार्यालयों से संबन्धित प्रशासनिक स्वीकृतियाँ ।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर-स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**		
2019-20	**-**	**-**	**5.83**	**155.25**	**-**	**-**	**-149.43**	**-**
2020-21(09/2020 तक)	**-**	**-**	**2.79**	**78.00**	**-**	**-**	**-7521305**	**-**

iiiअभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनद्वारा प्रमुख अभियंता (वित्त नियंत्रक अनु0) प्रशासन से प्राप्त होती है । प्रश्नगत इकाईसंपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'सी' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियन्ता
4. अधीक्षण अभियन्ता

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा माह08/2019से 09/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयअभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनके लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह09/2020 को विस्तृत जांच हेतु नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

v).लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा15लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1:- प्राक्कलनों पर रु 222.56 लाख की अधिक एवं अनियमित स्वीकृति।

इकाई के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य सेक्टर के अंतर्गत सौंग बांध परियोजना के निर्माण हेतु निर्माण से पूर्व के कार्यों/प्रक्रियाओ एवं अनापत्तियाँ प्राप्त किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्यों की लागत रु 3960.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (जून-2018) प्रदान करते हुए रु 1960.00 लाख की धनराशि का आवंटन प्रमुख अभियंता के निवर्तन में रखते हुए किया गया था। इस राशि को प्रमुख अभियंता द्वारा निम्नानुसार मदवार आवंटित कर अनुसंधान एवं नियोजन खंड, देहरादून को दिया गया था:

(रु लाख में)

क्र.	**मद का विस्तृत विवरण**	**कार्य की लागत (रु लाख में)**	**आवंटित धनराशि (रु लाख में)**
1	वनभूमि हस्तांतरण एवं पुनर्वास	3000.00	1000.00
2	परिकल्पन एवं पुनरीक्षण	550.00	550.00
3	भू-विज्ञान अनुसंधान एवं जल विज्ञान अध्ययन	410.00	410.00
योग		3960.00	1960.00

आगे अभिलेखों में पाया गया कि अनुसंधान एवं नियोजन खंड द्वारा वनभूमि हस्तांतरण एवं पुनर्वास के अंतर्गत आवंटित राशि रु 1000.00 लाख को छोडकर परिकल्पन एवं पुनरीक्षण और भू-विज्ञान अनुसंधान एवं जल विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत आवंटित धनराशि रु 960.00 लाख (रु 550.00 लाख + रु 410.00 लाख) की मदों के अंतर्गत निम्न चार आगणन का गठन एवं स्वीकृत करके निर्माण से पूर्व के कार्यों/प्रक्रियायों एवं अनापत्तियाँ प्राप्त किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था:

1. Various studies required at investigation stage- Rs.185.42 lakh
2. Detailed Topographical Survey, Groutability test and Drifting work at investigation stage-Rs.200.64 lakh
3. Detailed estimate of exploratory drilling and Destructive Drilling work-Rs.246.50 lakh
4. Up-gradation of DPR and preparation of tender document in EPC mode-Rs.207.26 lakh.

इसप्रकार पाया गया कि क्रमांक 4 पर स्वीकृत आगणन मद परिकल्पन एवं पुनरीक्षण से संबन्धित है जो कि इस मद में आवंटित राशि के अंदर है और क्रमांक 1,2 एवं 3 मे स्वीकृत किए गए आगणन भू-विज्ञान अनुसंधान एवं जल विज्ञान अध्ययन से संबन्धित है जिनकी कुल लागत रु 632.56 लाख की स्वीकृत की गई है जबकि प्रमुख अभियंता द्वारा इस मद में Allocation रु 410.00 लाख (रु 350 लाख + रु 60 लाख) ही किया गया था। इसप्रकार अधीक्षण अभियंता द्वारा रु 222.56 लाख के आगणनो पर दी गयी

स्वीकृति प्रमुख अभियंता द्वारा किए गए मदवार आवंटन से अधिक थी और प्रमुख अभियंता के मदवार आवंटन के विपरीत थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि परिकल्पन एवं पुनरीक्षण और भू-विज्ञान अनुसंधान एवं जल-विज्ञान अध्ययन मदों में आवंटित धनराशि रु 960.00 लाख के अंतर्गत रु 839.82 लाख (उक्त सभी स्वीकृत प्राक्कलनों की राशि का योग) के प्राक्कलन स्वीकृत किये गये है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई का ये तर्क तो सही है कि सभी स्वीकृत प्राक्कलन की लागत कुल आवंटित धनराशि रु 960.00 लाख के अंदर है परंतु क्रमांक 1,2 एवं 3 मे स्वीकृत किए गए आगणन प्रमुख अभियंता द्वारा इस मद में किये गये Allocation रु 410.00 लाख से रु 222.56 लाख से अधिक है और मदवार आवंटन के अनुरूप अनियमित है। जिसको मदवार प्राक्कलनों की वास्तविक लागत के अनुरूप पुनरीक्षित कराया जाना चाहिए था और कार्येत्तर स्वीकृति प्रमुख अभियंता से ली जानी चाहिए थी।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर 2:- लेखापरीक्षा अवधि में रु. 210.40 लाख की प्रविष्टि हेतु रोकड़ बही का रख-रखावन किया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक:3/XXXVII(6)/2013, दिनाँक 02.01.2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षित अवधि (08/2019 से 09/2020) के मध्य BM-5 के अनुसार माहवार निम्न धनराशियाँ व्यय की गई थी-

माह	**BM-5 के अनुसार व्यय धनराशि**
08/2019	1257080.00
09/2019	1916880.00
10/2019	1803074.00
11/2019	1191656.00
12/2019	1217908.00
01/2020	1586104.00
02/2020	1416706.00
03/2020	408308.00
04/2020	1194314.00
05/2020	1211071.00
06/2020	1808254.00
07/2020	2278415.00
08/2020	123671.00
09/2020	3626675.00
योग	**21040116.00**

उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य मेंइकाई द्वारा ई-पेमेंट प्रणाली से हुए भुगतानों का अंकन रोकड़ बही में किया जाना चाहिए था परंतु उक्त भुगतानित धनराशियों के अंकन हेतु इकाई द्वारा किसी प्रकार की रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया गया है जिस कारण

विस्तृत जांच हेतु चयनित माह की प्रविष्टियों एवं अंकगणितीय शुद्धता की प्रविष्टियों की सत्यापन जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी, यद्यपि इकाई द्वारा 11-सी पंजिका व वाउचरों का रख-रखाव किया गया था।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश के अनुपालन मेंइकाई द्वारा ई-पेमेंट प्रणाली से हुए भुगतानों का अंकन रोकड़ बही में किया जाना चाहिए था।

अतः लेखापरीक्षा अवधि में रु. 210.40 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	**प्रस्तर संख्या**		
	भाग II `अ`	**भाग II `ब`**	**STAN**
37/2019-20		01	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

प्रतिवेदनसंख्या	प्रस्तर 2A	प्रस्तर 2B	प्रस्तर STAN	अभियुक्ति
37/2019-20		01		इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर शीघ्र ही महालेखाकर लेखापरीक्षा को प्रेषित की जाएगी ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1).कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में कार्यालय संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयअभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: -।

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री बी0 के0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियंता	31.10.2017 से 22.10.2020
श्री संजीव जैन	अधीक्षण अभियंता	22.10.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अभियंता परियोजना मंडल, सिचाई विभागदेहरादूनको इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I